बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना पश्चिम, पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध CAG प्रतिवेदन 2003–04 की सिविल कंडिका–4.1.2 के तहत वर्ष 1998–99 में पटना पश्चिम, पथ प्रमंडल, पटना अंतर्गत मसौढ़ी–पितमास–नौबतपुर–खगौल पथ के 11 से 21 कि0मी0 तथा दुल्हिनबाजार–रानी तालाब–पाली–किंजर पथ के 21 से 32 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में अनियमितता बरते जाने के कारण इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत सरकार को हुई आर्थिक क्षति के लिए समानुपातिक दोष के आधार पर श्री श्रीवास्तव से रू० 3,99,900/– (तीन लाख निन्यानवे हजार नौ सौ रूपये मात्र) की वसूली की अनुशंसा पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2359 दिनांक 23.03.2018 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से किया गया।

2. पथ निर्माण विभाग के उक्त अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 8628 दिनांक 02.08.2018 द्वारा श्री श्रीवास्तव के उपार्जित अवकाश नकदीकरण मद में भुगतेय राशि में से रू० 3,99,900/– (तीन लाख निन्यानवे हजार नौ सौ रूपये मात्र) की कटौती कर ली गयी।

3. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की गयी उक्त कटौती के विरूद्ध श्री श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–6560/2019, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम राज्य सरकार दायर किया गया। इस वाद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2019 को निम्नांकित आदेश के साथ निष्पादित किया गयाः–

" Under the aforesaid circumstances, this court deems it appropriate to direct the petitioner to make a fresh complaint/representation before the Principal Secretary, Rural Work department, Government of Bihar, Patna (respondent no. 3) indicating the details of his grievances, within a period of four weeks from today, who on receipt of the same shall, after verifying the facts, pass a reasoned order in accordance with law within a further period of six weeks therafter. If it is found that the recovery of the aforesaid amount is not justified on facts, necessary order rectifying that mistake also shall be passed within the aforesaid stipulated period."

4. माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2019 पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई दिनांक 01.07.2019 को की गयी। मामले में सुनवाई के पश्चात् यह स्पष्ट हुआ कि पथ निर्माण विभाग द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में श्री श्रीवास्तव से उक्त वसूली की गयी है तथा आवेदक का दावा है कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा लिया गया निर्णय ही गलत है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूरा मामला पथ निर्माण विभाग को संदर्भित करने का आदेश

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org., E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic

दिया गया तथा आवेदक को भी अपनी तरफ से प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दायर कर अपना पक्ष रखने का निदेश देते हुए वाद को निष्पादित किया गया।

5. श्री श्रीवास्तव का संवर्ग नियंत्री प्राधिकार ग्रामीण कार्य विभाग होने के आधार पर पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6993 दिनांक 31.07.2019 द्वारा मामले के निष्पादन हेतु इसे वापस कर दिया गया तथा कहा गया कि आवेदक के प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विचारन के क्रम में यदि पथ निर्माण विभाग का किसी बिन्दु पर मंतव्य/परामर्श की आवश्यकता हो तो ग्रामीण कार्य विभाग इसकी मांग पथ निर्माण विभाग से करते हुए मामले को निष्पादित कर सकता है। ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर पर मामले के समीक्षोपरांत श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2019 में उल्लेखित बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 2774 दिनांक 19.09.2019 द्वारा पथ निर्माण विभाग से मंतव्य की अपेक्षा की गयी।

6. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 9657 दिनांक 06.11.2019 के माध्यम से प्राप्त मंतव्य में श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन में वर्णित बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया है। श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन में वर्णित तथ्य कि ऑडिट ऑबजेक्शन 2003–04 उनके कार्यकाल से संबंधित नहीं था तथा उनके पदस्थापन अवधि दिनांक 06.03.2000 से 25.01.2001 तक कराये गये कार्य विशिष्टि के अनुरूप थे, के संदर्भ में कहा गया है कि आलोच्य कार्य फरवरी 2004 तक अपूर्ण थे एवं पथ में एक साथ 3.75 mm मुटाई में संपीडन नहीं करने पर सभी लेयर में संपीडन विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराया गया। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव का कथन उक्त दोनों बिन्दुओं पर तर्क संगत नहीं पाया गया।

श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन में वर्णित अन्य बिन्दुओं यथा आलोच्य कार्य से वे मात्र 10 माह ही जुड़े रहने एवं उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा दिनांक 28.10.2012 को तकनीकी पदाधिकारी मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग द्वारा वर्ष 2012 में ही स्वीकार कर लिये जाने के संदर्भ में यह मंतव्य दिया गया कि प्रमाणित पाये गये त्रुटिपूर्ण कार्य में संलिप्त रहने की पुष्टि के बावजूद यह कहा जाना कि इनके द्वारा किया गया कार्य विशिष्टि के अनुरूप है, स्वीकार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उनके स्पष्टीकरण दिनांक 28.10.2012 को स्वीकार कर लिये जाने के संदर्भ में यह पाया गया कि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग के पत्र दिनांक 29.06.2017 द्वारा बिना किसी साक्ष्य एवं तर्क के ही इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य होने संबंधी मंतव्य प्रतिवेदित किया गया था, जिसे विभागीय समीक्षा में अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया गया।

श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन में वर्णित इस बिन्दु कि उनके स्थानांतरण के बाद तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा 26.66 लाख रूपये का भुगतान संवेदक को किया गया एवं तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा वांछित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप ऑडिट ऑबजेक्शन हुआ तथा इसी आधार पर विभाग द्वारा बिना तथ्यों के परखे ही सभी संबंधित अभियंताओं के साथ उनके विरूद्ध भी समानुपातिक राशि वसूली का निर्णय ले लिया गया, के संदर्भ में यह मंतव्य प्रतिवेदित है कि संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

CAG का प्रतिवेदन सिविल कंडिका संख्या–4.1.2/2003–04 के आधार पर किया गया है। इस आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 25.10.2012 विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार्य योग्य नहीं पाते हुए समानुपातिक दोष के आधार पर उनसे रू० 3,99,900/– के वसूली का आकलन किया गया।

7. पथ निर्माण विभाग से संबंधित आरोपों एवं इस प्रसंग में पथ निर्माण विभाग के निर्णय/अनुशंसा के आलोक में श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना पश्चिम, पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग से रू० 3,99,900/– की वसूली की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 23.04.2019 के आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में पथ निर्माण विभाग के निर्णय को गलत बताते हुए इस संदर्भ में उठाये गये बिन्दुओं पर पथ निर्माण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा से वसूली के उक्त निर्णय पर इस विभाग के स्तर से किसी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। अतः श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2019 को अस्वीकृत किया जाता है।

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–01/2018 - 3481 /पटना, दिनांक :– 25.11.2019

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–01/2018 - 3481 /पटना, दिनांक :– 25.11.2019

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पत्राचार का पता :– 475/बी0 मजिस्ट्रेट कॉलोनी, शांति वाटिका, डाकघर–आशियाना नगर, थाना–राजीवनगर, पटना–800025 एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.